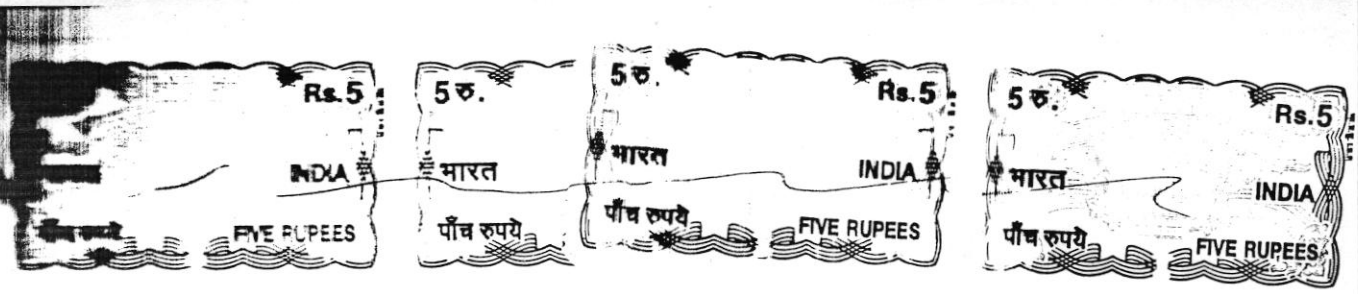

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांकः– /15 निगरानी निगरानी 1086-II-15

01.लालु पिता बालुजी गायरी
02.बगदीराम पिता बालुजी गायरी दोनों निवासीगण ग्राम असावता तहसील ताल जिला रतलाम (म.प्र.)

..........आवेदकगण

विरूद्ध

केलाश पिता वरदा गायरी निवासी ग्राम असावता तहसील ताल जिला रतलाम (म.प्र.)

............अनावेदक

30/4/15

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय तहसील ताल जिला रतलाम के प्रकरण कमांक 03/अ–13/14.15 में पारित आदेश दिनांक 31/03/15 से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

माननीय महोदय,

आवेदक की और से निम्नानुसार पुनरीक्षण **प्रार्थना**–पत्र प्रस्तुत है।

01. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

03. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक ने जो धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उसमें न तो उसके द्वारा अपनी भूमि का

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1006-दो/15 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	